भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5858
उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पुराने और अप्रासंगिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा

†5858. **श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में वर्तमान में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की सूची क्या है जो पुराने, अप्रासंगिक या विवादास्पद हो गए हैं और उनकी पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने छात्रों की रोजगार क्षमता और समग्र शैक्षिक परिणामों पर ऐसे पाठ्यक्रमों के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे पाठ्यक्रमों की समीक्षा, अद्यतन और बंद करने के लिए विशिष्ट कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएँ होने के कारण अपने संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों के अनुमोदन से संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों सहित सभी शैक्षणिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

स्नातकों की रोज़गार-योग्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए दिनांक 24.03.2025 को प्रशिक्षुता-युक्त डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए और दिनांक 02.02.2024 को अवर स्नातक छात्रों के लिए प्रशिक्षुता/अनुसंधान प्रशिक्षुता के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार एआईसीटीई की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (2024–2027) और वर्ष 2026 तक होने वाले वर्तमान में नीतिगत बदलावों के आधार पर परिषद एआई-एकीकृत पाठ्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ रही है। एआईसीटीई द्वारा की गई पहलों में मॉडल पाठ्यक्रम में संशोधन; शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण; डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीएलएसआई डिज़ाइन टेक, लॉजिस्टिक्स और आईसी निर्माण में डिप्लोमा जैसे नए बी.टैक कार्यक्रम; माइनर डिग्री पाठ्यक्रमों की शुरुआत; उद्योग के साथ सहकार्यता; एआईसीटीई इंटर्नशिप पोर्टल; एआईसीटीई करियर पोर्टल; कामकाजी पेशेवरों के कौशल को उन्नत करने संबंधी नीति; और एआईसीटीई- आईडीईए लैब योजना (विचार विकास, मूल्यांकन और अनुप्रयोग) सहित उद्योग की माँग और रोज़गार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है।
